तत्काल/तिथिबद्ध

प्रेषक

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा चण्डीगढ़ ।

सेवा में

1. निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा, गुड़गांव।
2. सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
3. सभी प्राचार्य डाईट एंव गैटी।

यादी कमांक 15/3–10 एच0आर0एल0(5)
दिनांक चण्डीगढ़ 19.7.2010

विषय: प्राध्यापक गणित स्कूल काडर के पद पर पदोन्नति हेतु मामले भेजने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

उपरोक्त मामले में आपसे अनुरोध है कि आप अपने जिले/संस्था के अधीन कार्यरत मास्टर/मिस्ट्रैस एंव सी0 एंड वी0 अध्यापकों के पदोन्नति मामले पूर्ण निजी मिसलों सहित निर्धारित प्रार्फोमें में विशेष वाहक के माध्यम से 30.7.2010 सायं तक निदेशालय को भेजें । मामले आप अपने स्तर पर पूर्णरूप से चैक कर के अपनी सिफारिश सहित भेजें । अतः आप योग्य कर्मचारियों के पदोन्नति मामले पूर्णरूप में जांच शिकायत लम्बित न होने के प्रमाण पत्र, सत्यनिष्ठा संदेहजनक न होने के प्रमाण पत्र तथा वर्ष 2009–10 की ए0सी0आर0 सहित पूर्ण निजी मिसल सहित मामले भेजें । कर्मचारी ने सम्बन्धित विशेष में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से 50 प्रतिशत अंको सहित एम0ए0 पास कर रखी हो तथा उसका फिडर काडर में 2 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए । कर्मचारी की निजि मिसल में उसकी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र एंव नियमित नियुक्ति आदेशों की प्रति आवश्य होनी चाहिए । यह भी प्रमाण पत्र भेजें कि उनके जिले में अब कोई भी प्राध्यापक पद पर पदोन्नति का मामला लम्बित नहीं है । इसके बाद भी यदि कोई केस लम्बित रहेगा तो आपका कार्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा। इसके अतिरिक्त अग्रेषण पत्र में यह भी प्रमाण पत्र दिया जाए कि आपके जिले से सम्बन्धित मांगे गये मामलों की तिथि तक का कोई मामला लम्बित नहीं है।

कमांक	विषय	नियमित नियुक्ति तिथि तक (मास्टर एंव सी0 एंड वी0)	विवरण
1	गणित	31.12.1997	

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन कर्मचारियों के मामले पहले भेजे हुए हैं, उनकी वर्ष 2009–10 तक की ए0सी0आर0, जांच शिकायत लम्बित न होने के प्रमाण पत्र, सत्यनिष्ठा संदेहजनक न होने के प्रमाण पत्र सहित मामले भेजना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक एच0आर0एल0
कृते निदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा चण्डीगढ़ ।